न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–141 / 1991–92

लक्ष्मी नारायण सिंह वगैरह बनाम कुन्ती देवी वगैरह

Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

28/3/18

आदेश

मूल रूप में यह वाद हरदेव सिंह एवं अन्य के द्वारा दीप नारायण सिंह वगैरह को पक्षकार बनाते हुए भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 05 / 1990–91 में दिनांक 24.07.1990 को पारित आदेश के विरूद्ध समाहर्ता, पटना के न्यायालय में दायर किया गया था। वर्ष 2001 में यह वाद समाहर्ता, पटना के न्यायालय से इस न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया गया। इस वाद के मूल पक्षकार निम्न प्रकार थे।

प्रथम पक्ष :

1. श्री हरदेव सिंह, पिता स्व0 देव चरण सिंह
2. श्री बसंत सिंह, पिता हरदेव सिंह
3. श्री अश्वनी कुमार, पिता लक्ष्मी नारायण
4. श्री अमित कुमार, पिता बसंत सिंह

सभी का पता–चकपुल, थाना–फुलवारीशरीफ, जिला–पटना।

द्वितीय पक्ष

1. श्री दीप नारायण सिंह, पिता स्व0 हरिचरण सिंह
2. श्री जगत सिंह, पिता दीप नारायण सिंह,
3. श्री सरयुग शरण सिंह, पिता दीप नारायण सिंह,
4. श्री राजेन्द्र सिंह, पिता दीप नारायण सिंह, सभी का पता चकपुल, थाना–फुलवारीशरीफ, जिला–पटना।

वाद लम्बित रहने के दौरान प्रथम पक्ष के श्री हरदेव सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण उनके स्थान पर लक्ष्मी नारायण सिंह एवं अन्य को पक्षकार बनाया गया। इसी प्रकार द्वितीय पक्ष के श्री दीप नारायण सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्रीमती कुन्ती देवी वगैरह को पक्षकार बनाया गया।

उपस्थित वाले नहीं पक्षकारों की उपस्थिति हेतु दिनांक 21.02.2017 के प्रभात खबर दैनिक समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करायी गयी। समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन के बाद भी उपस्थित नहीं होने वाले पक्षकारों को सुनवाई से वंचित करते हुए उभय पक्ष को सुना गया।

<u>आवेदकगण का संक्षेप में कथन है कि</u>

(1) टाईटिल पार्टीशन सूट सं0 $\frac{592}{1968}$ में पारित डिक्री के आधार पर अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{1501}{8}$ वर्ष 89–90 के अन्तर्गत दिनांक 08.09.89 को उनके पक्ष में दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी।

(2) विपक्षीगण के द्वारा अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के उक्त आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0 05/1990–91 दायर किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपील स्वीकृत कर ली गयी। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 05/1990–91 में दिनांक 24.07.1990 को पारित आदेश को अवैध बताते हुए निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षीगण का कथन है कि

(1) अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के द्वारा विपक्षीगण को सूचना दिए बिना दाखिल खारिज की स्वीकृति दे दी गयी। विपक्षीगण की पहले से कायम जमाबंदियों को अंचलाधिकारी के द्वारा रद्द कर दिया गया, जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

(2) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 05/1990–91 में दिनांक 24.07.1990 को पारित आदेश को विधि सम्मत बताते हुए पुनरीक्षण आवेदन को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख पर रखे कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया।

इस न्यायालय के द्वारा पुनरीक्षण वाद में यह देखा जाना है कि निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है अथवा नहीं। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा अपील वाद सं0 05/1990–91 में दिनांक 24.07.1990 को पारित आदेश में निम्न महत्वपूर्ण तथ्य अंकित किए गए है।

(1) अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के द्वारा अपीलकर्तागण को बिना सूचना दिये उनके हिस्से के भूखण्डों की जमाबंदी उत्तरवादीगण के नाम से कायम कर दी गयी। अपीलकर्तागण के नाम से जमींन्दारी उन्मूलन के बाद से जमाबंदी कायम थी। अपीलकर्तागण का पक्ष सुने बिना अंचलाधिकारी के द्वारा उनकी जमाबंदी खारिज कर उत्तरवादीगण के नाम से नयी जमाबंदी कायम कर दी गयी, जिसके लिए अंचलाधिकारी सक्षम नहीं है।

(2) दाखिल खारिज वाद में दखल–कब्जा के बिन्दु पर राजस्व कर्मचारी का कोई प्रतिवेदन नहीं है। दखल–कब्जा के बिन्दु पर राजस्व कर्मचारी अथवा अंचलाधिकारी के द्वारा जांच नहीं की गयी है।

अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{1501}{8}$ वर्ष 1989–90 में पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि दाखिल खारिज का बुनियादी नियम है कि प्रश्नगत भूखण्ड पर आवेदक का दखल–कब्जा हो, इसके साथ ही पूर्व से जिनके नाम से जमाबंदी कायम हो, उनका पक्ष सुनना आवश्यक है। बंटवारा के मामले में तो दाखिल खारिज के लिए सभी पक्षों की सहमति आवश्यक है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के

आदेश से स्पष्ट है कि प्रश्नगत दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{1501}{8}$ वर्ष 1989-90 में अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के द्वारा दाखिल खारिज की स्वीकृति के संबंध में स्थापित नियमों का पालन नहीं किया गया है। पुनरीक्षण वाद के आवेदकगण के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे यह प्रमाणित हो कि अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के द्वारा सभी पक्षों को विधिवत सूचना दी गयी थी तथा दखल कब्जा के बिन्दु पर जांच की गयी हो।

सम्यक विचारोपरान्त मैं यह समझता हूँ कि दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद सं0 05/1990-91 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दिनांक 24.07.1990 को पारित आदेश विधि सम्मत है तथा उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

(वजेन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्ता,पटना

(वजेन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्ता,पटना